

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।
पत्रांक-03/छात्रवृत्ति (संस्थान नामांकन)-06/2023-1515

प्रेषक,

राकेश चन्द्र,
अवर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 06-09-2023

विषय : विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं आई0टी0आई0 शैक्षणिक संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र-2022-23 हेतु विस्तारण से संबंधित सूचना का विज्ञापन सामग्री तैयार की गई है।

अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को राज्य एवं राज्य के बाहर सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन
6/9/23
अवर सचिव।

ज्ञापांक: 1515

राँची, दिनांक : 06-09-2023

प्रतिलिपि : Centre for Good Governance, Hyderabad को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक: 1515

राँची, दिनांक : 06-09-2023

प्रतिलिपि: सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, झारखण्ड/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/9/23
अवर सचिव।

ज्ञापांक: 1515

राँची, दिनांक : 06-09-2023

प्रतिलिपि : सरकार के प्रधान सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

6/9/23
अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड सरकार, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, रांची।

झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं आई0टी0आई0 शैक्षणिक संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र-2022-23 हेतु ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना

सूचना

(P.R. No.- 303739)

झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं आई0टी0आई0 शैक्षणिक संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र-2022-23 हेतु ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं उक्त शैक्षणिक संस्थानों में सत्र-2022-23 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को प्रवेशकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कारवाई से पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन (P.R. No.- 303739) के क्रम में पूर्व से निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार तिथि विस्तारित की जाती है :-

ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कारवाई	ई-कल्याण पोर्टल पर कारवाई के लिए विस्तारित अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि	16.09.2023
2.	शैक्षणिक सत्र-2022-23 हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि	20.10.2023
3.	संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि।	30.10.2023

नोट:-नर्सिंग एवं आई0टी0आई0 शैक्षणिक संस्थानों के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन देने पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

शेष दिशा निर्देश Website- ekalyan.cgg.gov.in पर उपलब्ध है।

1
6/9/23

अवर सचिव।